कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक
(इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), जयपुर

क्रमांकः अधि० अभि० (मु०) हैरिटेज/2022/378 दिनांक 21/09/2022

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली **"इंदिरा गॉधी शहरी रोजगार गांरटी योजना"** **(IRGY-Urban)** के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के ओदश क्रमांक एस्ट/एम/एफ 10 ( )/आरएमएस (टी)/डीएलबी/2022/3692–4573 दिनांक 31.05.2022 एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना में जयपुर जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगर निगम जयपुर हैरिटेजं/नगर निगम ग्रेटर जयपुर/नगर परिषद कोटपूतली/नगर पालिका बगरू/बस्सी/चौमू/जोबनेर/किशनगढ–रेनवाल/पावटा–प्रागपुरा/फुलेरा/सांभरलेक/शाहपुरा/विराट नगर/चाकसू) हेतु संविदा पदों पर भर्ती हेतु इस कार्यालय के विज्ञप्ति क्रमांक अधि0अभि0 (मु0) हैरिटेज/2022/114 दिनांक 08.06.2022 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक अधि0अभि0 (मु0) हैरिटेज/2022/186 दिनांक 08.07.2022 जारी की गयी थी।

निम्न पदों हेतु प्राप्त आवेदनों के क्रम में संविदा पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गयी अस्थाई वरियता सूची मय प्रतीक्षा सूची नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट **www.jaipurmcheritage.org** पर ऑनलाईन अपलोड/जारी की जा चुकी है।

उक्त वेबसाईट पर अपलोड/जारी अस्थाई वरियता सूची में सम्मलित अभ्यार्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु **निम्न निर्धारित तिथियों को अपने शैक्षणिक/प्रशैक्षिक व आवश्यक अन्य समस्त दस्तावेजों की मूल एवं एक–2 सत्यापित प्रति सहित कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज के सभाकक्ष में प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक** आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दस्तावेज सत्यापन हेतु पदवार निर्धारित तिथि/कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	पद का नाम	दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय	दस्तावेज सत्यापन स्थल
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री एवं डिप्लोमा)	दिनांक 29.09.2022 एवं समय 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक	सभा कक्ष, नगर निगम जयपुर हैरिटेज पुराना पुलिस मुख्यालय, बड़ी चौपड़ जयपुर।
2	लेखा सहायक	दिनांक 29.09.2022 एवं समय 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक	
3	MIS मैनेजर	दिनांक 30.09.2022 एवं समय 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक	
4	शहरी रोजगार सहायक	दिनांक 30.09.2022 एवं समय 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक	

नोटः–

1. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी अस्थाई वरियता सूची किसी भी अभ्यार्थी के चयन/नियुक्ति/पात्रता का आधार नहीं होगी।
2. उक्त निर्धारित तिथियों को दस्तावेज सत्यापन से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन का पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।
3. उक्त निर्धारित तिथियों व निर्धारित समय के पश्चात् उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं किये जावेगें।
4. किसी भी अभ्यार्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक से सूचना/पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। समाचार पत्र/विभागीय वेबसाईट के माध्यम् से प्रसारित सूचना के आधार पर ही अभ्यार्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।
5. नियमानुसार एवं विभागीय निर्देशानुसार विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अनुसार पात्र पाये गये अभ्यार्थियों को पात्रता/वरीयता सूची पृथक से जारी की जावेगी।

(विश्राम मीणा)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं
सदस्य सचिव जिला परियोजना
समन्वयक समिति (IRGY-Urban)